

fcgkj pEcj vkQ dkeI| ,.M b.MLVht dh vkj I jktLo lfpo]  
foUk e=k !] "kkj# Ijdkj dk oL#\$ ,o llok%dj (GST)  
&j l ef&# l f'k(# Lekj%&=

- 1 GST 1 जुलाई से लगना प्रस्तावित है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमारा अनुरोध है कि इसे 1 सितम्बर से लागू किया जाये क्योंकि :-
  - GST के लिए Rules एवं Formats काफी देरी से उपलब्ध कराए गये हैं एवं कुछ अभी भी बाकी है। जिसके कारण व्यवसायियों को पूरीजानकारी नहीं है।
  - GSTN के द्वारा पंजीकृत किसी भी GSP के द्वारा अभी तक GST के लागू होने के लिए कोई भी तैयारी नहीं हुई है और GSP ने भी date को बढ़ाने का अनुरोध किया है।
  - किसी भी Software Company द्वारा GST के लिए Software उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, जैसे कि Tally जैसी प्रमुख कंपनी ने अपना Software उपलब्ध नहीं कराया है।
  - Banks भी GST के लिए तैयार नहीं हैं और बैंको ने भी इस संबंध में date बढ़ाने का अनुरोध किया है।
  - बहुत सारे व्यवसायियों को आज तक उनका Provisional ID प्राप्त नहीं हुआ है और वह GST में migrate नहीं हुए हैं और व्यवसाय करने में असमर्थ रहे हैं।
  - सरकार के ही उड्डयन विभाग ने 15 तारीख को 1 जुलाई से GST को बढ़ाकर 1 सितम्बर से लागू करने का अनुरोध किया है।

) e\*kt,.....-

उपरोक्त कारणों से व्यवसायीगण एवं उद्योग GST लागू होने के लिए तैयार नहीं हैं। अतः GST को 1 सितम्बर से लागू करने का अनुरोध करते हैं अन्यथा उनका व्यवसाय करना कठिन हो जायेगा।

- 2 GST के अन्तर्गत 50 हजार अथवा उससे अधिक के सप्लाय पर e-way bill प्रस्तावित है, हमारा सुझाव है कि e-way bill को नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि सरकार के Ease of Doing Business की नीति के विरुद्ध है और यदि ऐसा संभव नहीं होता उस परिस्थिति में e-way bill सिर्फ अन्तरराज्तीय (Inter State) लेन-देन के लिए लागू किया जाना चाहिए और इसकी न्यूनतम राशि 2 लाख होनी चाहिए।
- 3 छोटे व्यवसायियों की कठिनाईयों को देखते हुए 5 करोड़ तक का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों से invoice में HSN code की प्रथम दो digit को ही आवश्यक किया जाना चाहिए।
- 4 Transitional provision के अन्तर्गत व्यवसायियों के carry forward input का credit GST के अन्तर्गत मिलना है, लेकिन entry tax के लिए इस संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, हमारा सुझाव है कि unadjusted entry tax का credit GST में मिलने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- 5 हम सभी GST के बहुत नजदीक हैं और बहुत लोग GST में migration करा चुके हैं लेकिन निबंधित व्यक्तियों के jurisdiction का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। किसी भी निबंधित व्यक्ति का एक बार अधिकार क्षेत्र का निर्धारण हो जाने के बाद उसे भविष्य में बदला नहीं जाना चाहिए। साथ ही किसी भी परिस्थिति में किसी भी एक निबंधित व्यक्ति पर दोहरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
- 6 GST के प्रावधान एवं नियम से व्यवसायी पूरी तरह अवगत नहीं हैं। अतः किसी भी त्रुटि के लिए कम से कम इसके लागू होने के बाद प्रथम 6 माह तक कोई भी अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना चाहिए।

7 GST के Act एवं Rules करीब-करीब final हो चुके हैं अथवा final होने के stage पर हैं लेकिन Act एवं Rule में किये गये कुछ प्रावधान एवं नियम उद्योग एवं व्यवसाय के लिए बहुत ही कष्टकारी होनेवाले हैं और उन सभी को पुनः विचार कर के बदलने की आवश्यकता है जिसमें कि कुछ विन्दु इसप्रकार हैं:-

- (i) GST Act की धारा 9(4) के तहत किसी भी registered person द्वारा किसी भी unregistered person से किए गए किसी भी लेन-देन पर reverse चार्ज लगाया गया है जिसका दायरा बहुत व्यापक है और निश्चित रूप से छोटे व्यवसायियों के व्यापार को प्रभावित करेगा। अतः इसके दायरे को सीमित करने की आवश्यकता है।
- (ii) GST Act की धारा 16 (2) ( c ) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि किसी सप्लायर द्वारा देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में उस लेन-देन के receipt को input का credit प्राप्त नहीं होगा। इस संबंध में हमारा कहना है कि किसी भी सप्लायर द्वारा किये गये किसी default के लिए receipt को दंडित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अंततः सरकार उस सप्लायर से देय भुगतान को प्राप्त कर ही लेगी। हमारा कहना है कि सप्लायर द्वारा जारी किये गये टैक्स इन्वॉइस के आधार पर ITC दिया जाना चाहिए।
- (iii) Return की तारीख-GSTR-1A को correction करने का समय मात्र दो दिन ही दिया गया है, इसे बढ़ाकर कम से कम पाँच दिन अर्थात् 17 तारीख की जगह 20 तारीख तक का समय दिया जाना चाहिए। GSTR-3 को भी 20 तारीख की जगह 25 तारीख तक जमा करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- (iv) GST की धारा सेक्शन 10 के अन्तर्गत composite levy के लिए अधिकतम सीमा को 75 लाख किया गया है इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि आयकर की धारा 44 AD को ध्यान में रखते हुए GST के लिए भी इसकी सीमा 2 करोड़ कर दी जानी चाहिए।

&V/k

f0/kd #% 12 tY -412

\*\*\*\*\*



## **MESSAGE**

It is indeed a matter of great pleasure that Federation of Indian Chambers of Commerce & Industries (FICCI) celebrates a milestone 90th Anniversary in 2017. A proud moment for (BCCI), being an esteemed founder member of the FICCI. I feel pleased and honored, being the President of the BCCI an opportunity to share few words towards the publication of the “Coffee Table Book”. Building upon its rich history, (FICCI) will continue to be ***The voice of Indian Chamber, Commerce and Industries to Government of India.***

Ninety years ago at the end of first world war, the global economic situation was grim and the world was facing one of its severest crises. The working class and the lower strata of society was the worst hit. During these time FICCI was established for encouraging sustainable economic, environmental and social development.

FICCI being one of the oldest & the largest apex body of business associations in India, dedicated to promoting the growth and global competitiveness of Indian Businesses, plays a leading role in policy debates that are at the forefront of social, economic and political change. It's stand on policy issues is sought out by think tanks, Governments and academia.

Membership in FICCI means unparalleled access to national and international business activities, practical advice and informations, participating in strategic events, discussion forums, networking opportunities etc. The efforts made by FICCI in woman upliftment & empowerment, energy conservation, business arbitration etc are praiseworthy. FICCI has shown a deep sense of responsibility towards the welfare of the entire society by giving voice to the aspirations of the business community.

On this occasion I convey my heartiest congratulations and wish all the success to The **Federation of Indian Chambers of Commerce & Industries**, for celebrating its **90<sup>th</sup> Anniversary**.

**( P.K.Agrawal )**  
President